आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : लालगंज

वाद संख्या :- 068/2021

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202115520200068

अमीर अश्करी पुत्र श्री सैयद अहमद अमीर, सफदरी बीबी पुत्र श्री जलालुद्दीन, अबू अहमद उर्फ मजहर पुत्र श्री अब्दुल हसन सैफ जैदी पुत्र श्री अमीर काजिम, रेहाना पुत्री श्री अमीर काजिम निवासीगण देवगाँव बनाम उ0 प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी अमीर अश्करी पुत्र श्री सैयद अहमद अमीर, सफदरी बीबी पत्नी श्री जलालुद्दीन, अबू अहमद उर्फ मजहर पुत्र श्री अब्दुल हसन, सैफ जैदी पुत्र श्री अमीर काजिम, रेहाना पत्नी श्री अमीर काजिम निवासीगण ग्राम–देवगाँव, परगना–देवगाँव, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़ द्वारा ग्राम–तरफकाजी के आराजी संख्या–500ड़ रकबा–0.240 हे0, आराजी संख्या–710/265 रकबा–0.239 हे0, आराजी संख्या–212 रकबा–0.421 हे0 के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम अमीर अश्करी पुत्र श्री सैयद अहमद अमीर, सफदरी बीबी पत्नी श्री जलालुद्दीन, अबू अहमद उर्फ मजहर पुत्र श्री अब्दुल हसन, सैफ जैदी पुत्र श्री अमीर काजिम, रेहाना पत्नी श्री अमीर काजिम कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 02.09.2021 रिपोर्ट दी गयी कि आराजी संख्या–500ड़ रकबा–0.240 हे0, आराजी संख्या–710/265 रकबा–0.239 हे0, आराजी संख्या–212 रकबा–0.421 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि आराजी संख्या–500ड़ रकबा–0.240 हे0, आराजी संख्या–710/265 रकबा–0.239 हे0, आराजी संख्या–212 रकबा–0.421 हे0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम–तरफकाजी के आराजी संख्या–500ड़ रकबा–0.240 हे0, आराजी संख्या–710/265 रकबा–0.239 हे0, आराजी संख्या–212 रकबा–0.421 हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक लालगंज को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 4/10/21

4/10/21

(एस0 एन0 त्रिपाठी)
उपजिलाधिकारी
लालगंज–आजमगढ़